

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 01/2026

अनवान :

1. पवन कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।

2. सुरेन्द्र सामोता पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।

3. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।


:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सरजीत बिजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता संख्या 83/76 के खसरा संख्या 318 की 7.411 है० बाराणी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह अकेले की बजाय वादी पवन कुमार को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.01.2026..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Quiti

(निधि उड़सरिया) 
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़